न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–834/2020 दायर दिनांकः– 29.12.2020

जीसीएमएस नं. 2022/23

1.फत्तेसिंह पुत्र किरोडी जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील हिण्डौन सिटी हाल श्रीमहावीरजी ———–सायल

बनाम

1.किस्तूरा पुत्र नत्थूराम
2.कौशल्या पत्नी किस्तूरा
3.पिन्टू उर्फ राजकुमार पुत्र किस्तूरा
4.रवि पुत्र किस्तूरा

} जाति मीना निवासी दानालपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी

———–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री देवीसिंह गुर्जर अधिवक्ता सायलान
2 श्री विनोद वर्मा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– 25.04.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1011 रकवा 0.05 ऐयर गै0मु0 बगीची, ख0न0 1015 रकवा 0.23 ऐयर वारानी–1, ख0न0 311 रकवा 0.06 ऐयर, ख0न0 313 रकवा 0.08 ऐयर चाही –1, ख0न0 685 रकवा 0.19 ऐयर वारानी–1, ख0न0 808 रकवा 0.29 ऐयर चाही –1, ख0न0 809 रकवा 0.23 ऐयर चाही–1, ख0न0 810 रकवा 0.10 ऐयर वारानी–1, ख0न0 821 रकवा 0.12 ऐयर वारानी–1, ख0न0 824 रकवा 0.09 ऐयर चाही–1, कुल किता 10 कुल रकवा 1.44 है0 वाके ग्राम दानालपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी स्थित है जिसमें सायल का 1/3 तथा मूलवाद के प्रतिवादी संख्या 85 का हिस्सा 1/3 तथा मूलवाद के प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/3 साविक हाल जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में दर्ज हो रहे है।

आरीजयात मुतजिक्रा मद न0–2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का सायल व मूलवाद के प्रतिवादी न0 5, 6 में आपस में बाहमी बटवारा कर रखा है जिसमें से बाहमी बटवारे के अनुसार खसरा न0 824 रकबा 0.09 है0 भूमि सायल के हिस्से में आया है। जिसकों सायल ही मौके पर अलग डौलमेंड बनाकर मौके पर निरंतर फसल दर फसल प्रत्येक कृषि वर्ष में काश्त करता चला आ रहा है, सायल के बाहमी बटवारे में आयी उक्त भूमि से गैरसायल संख्या 1 ता 4 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र की भूमियों में सायल [illegible] खातेदार है तथा मूलवाद का प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा का रिकॉर्डडे [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्से का रिकॉर्डडे खातेदार काश्तकार है।

सायल व उसके प[illegible]2020 को सुबह 10 ब[illegible]मी बटवारे में आये खसरा न0 824 रकबा 0.09 है0 पर सा[illegible]ल कर रहे थे तो गैरसा[illegible] 1 ता 4 हाथों में लाठी डंडा लेकर गाली गलोच करते आये और सायल व उसके परिवारजनों को ऐलानिया धमकी दी कि इस खेत से निकल जाओं तुमकों काश्त नहीं करने देंगे पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:16:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

सायल को झूठे मुकदमों में फसा दिया है। उक्त झूठे केसों में न्यायालय ने बरी कर दिया है तथा बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के मुकदमा की धमकी दी है और लठठ के बल पर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने के लिये निर्माण सामग्री डालना शुरू कर दिया गया हैं तब गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बडी मुश्किल से गैरसायल संख्या 1 ता 4 को समझाइश कर दिया उसके उपरांत ही गैरसायल बढबढाते हुए चले गये सायल को भूमियों में गैरसायलान उनके कब्जे काश्त की भूमियों में मजामत व मदाखलत करने की धमकी दी है। सायल व उसके परिवारजन ने गैरसायलान को काफी समझाया लेकिन गेरसायलान अजखुद मानने को तैयार नहीं है तथा अपनी हठधर्मी पर अमादा है यदि गैरसायलान उक्त अपनी बेजा हरकतों मे सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही हो सकेगी इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टीआई पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि गैरसायलान का पाबन्द नहीं किया गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायल के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबन्द फरमाया जावे की दौराने दावा गैरसायलान सायलान के बाहमी बटवारे में आयी भूमि आराजी खसरा न0 824 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम दानलपुर तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी तथा मद न0 2 में वर्णित भूमि को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा सायल की उक्त भूमि में पुख्ता निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित नहीं करे एवं सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामत मदाखलत नहीं करे तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना हि किसी अन्य से करावे जिससे सायल के हकुको व सायल की उक्त भूमियों को कोई क्षति पहुचती हों

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये गैरसायलान की वाद तामील नोटिस प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली किये गये, गैरसायलान की ओर से श्री विनोद वर्मा अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण मे गैरसायलान अधिवक्ता को जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने कई अवसर देने के बाद ही जबाव पेश नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 20.12.2022 द्वारा गैरसायलान 1 ता 4 को जबाव प्रार्थना पत्र बंद किया गया । प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई, सायलान वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। गैरसायलान के अधिवक्ता द्वारा उक्त बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी की भूमि से गैरसायलान का संलग्न राजस्व दस्तावेजों जमावंदी संवत 2071–74 के, खाता संख्या 133 के आधार पर कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है, चूंकि उक्त प्रकरण का निस्तारण मूल वाद के निर्णय पर होगा तब तक उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन [illegible] अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष [illegible] आराजी की मौका की स्थिति ताफैसला बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner